न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 45/2024 G.C.M.S. No. 2024/211 दर्ज दिनांक : 28.06.2024

अपीलार्थिगण:

1. दरगाराम पुत्र श्री गोमाराम उम्र 51 वर्ष जाति सीरवी निवासी डूंगली तहसील बाली जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. हकाराम पुत्र श्री गोमारामजी उम्र 55 वर्ष जाति सीरवी निवासी डूंगली तहसील बाली जिला पाली।
2. राज. राज्य द्वारा तहसीलदार बाली (भूमिधारी)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 93/2011 बअनवान दरगाराम बनाम हकाराम वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 05.12.2017 एवं आदेश दिनांक 30.11.2022 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

उपस्थित–

1. श्री मदनदास वैष्णव विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित, श्री प्रवीण व्यास विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 27.03.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 93/2011 बअनवान दरगाराम बनाम हकाराम वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 05.12.2017 एवं आदेश दिनांक 30.11.2022 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि ग्राम डूंगली पटवार क्षेत्र शिवतलाव तहसील बाली की सीमा क्षेत्र में कृषि भूमि खसरा संख्या 30, 36, 106, 119, 132 क्षेत्रफल क्रमशः 0.5500 हैक्टेयर, 0.2000 हैक्टेयर, 0.6500 हैक्टेयर, 0.2500 हैक्टेयर, 0.3300 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 1.9800 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, जाव दोयम, राजस्व लगान 52.44 रूपये स्थित है। वादग्रस्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक के संयुक्त कब्जे की सहखातेदारी की कृषि भूमि होने, वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या एक 1/2 हिस्सा सहखातेदार के निहित होने, वादग्रस्त भूमि में संयुक्त रूप से कुंआ खुदवाने, वादी एवं प्रतिवादी के बीच फसल बोने के चयन में रकम हिस्सो में मनमुटाव होने, सामलात काश्त करना सुविधाजनक एवं फायदेमंद नहीं होने, विभाजन के अभाव में स्वतंत्र रूप से काश्त करने, बाधा खड़ी करने, वादी 1/2 हिस्सा विभाजन के जरिये अलग करवाने, बंटवाड़ा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

की भूमि कब्जे बंट रखे जाने, उसमे प्रतिवादी संख्या एक दखलंदाजी नहीं करने, न ही किसी एजेण्ट, नौकर, रिश्तेदारों के माध्यम से करने से रोके जाने हेतु प्रस्तुत किया। वाद हेतुक डूंगली में पैदा होने, प्रतिवादी संख्या एक फसल बोते समय बिना विभाजन करवाए प्रवेश नहीं करने, धमकिए दिए जाने, दिनांक 20.11.21 को विभाजन प्रस्ताव को मना करने से पैदा होने से वाद धारा 53, 188 राज, काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया था। वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादी गण को सम्मन जारी किए गए। प्रकरण को न्याय आपके द्वार अभियान, 2015 राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बाली में निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.7.15 पारित किये गये। तत्पश्चात् विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर दिनांक 5.12.17 को फाईनल डिक्री पर्चा जारी करने के आदेश प्रदान किए गए है। दिनांक 30.11.22 को वादी की अनुपस्थिति में प्रतिवादी संख्या एक के आवेदन को स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या एक पूनीदेवी के पक्ष में बंटवाड़ा करने बाबत आदेश सहित निर्णय एवं फाईनल डिक्री के विरुद्ध उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं कि दिनांक 5.12.17 को माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार, बाली को प्राथमिक डिक्री वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक के मध्य अभिलेखों में 1/2, 1/2 हिस्से अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के विभाजन का प्रस्ताव तैयार करवाकर मूल विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने का आदेश प्रदान किया गया था। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार, बाली द्वारा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 31.10.17 को अधीनस्थ न्यायालय में भिजवा दिया गया, जो भी पक्षकारों की अनुपस्थिति में तैयार किया गया। उक्त रिपोर्ट के संबंध में वादी अपीलार्थी को किसी के द्वारा कोई सूचना आज तक प्रदान नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.11.22 को बिना सुने विधि विरुद्ध आदेश पारित कर धारा 152 सी.पी.सी. के आवेदन को स्वीकार किया गया है, जबकि धारा 152 सी.पी.सी. के द्वारा निर्णय में कोई गणितीय अंकों की भूल हो जाती है, तो संशोधन स्वीकार्य रहता है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कानून को ताक पर रखते हुए एवं नये रूप से ही दिनांक 30.11.22 को आदेश पारित कर प्रतिवादी संख्या एक के स्थान पर पूनी को ही प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जो किसी भी अवस्था में ऐसा आदेश अचानक पारित नहीं किया जा सकता था। अपीलार्थी के वाद–पत्र को दर्ज दिनांक 29.11.11 को किए जाने के पश्चात् प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किए गए, दिनांक 7.12.11 को प्रतिवादी संख्या एक के अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा गया था, प्रतिवादी संख्या दो की तामील बाबत कोई तामील, अदम तामील बाबत कोई आदेश नहीं हुआ, न ही कोई प्रतिवादी संख्या दो की ओर से कोई उपस्थिति ही दी गई। पत्रावली पर प्रतिवादी संख्या दो की अनुपस्थिति कभी दर्ज नहीं की गई अर्थात् वाद में प्रतिवादी संख्या दो की तामील होने–नहीं होने,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थित होने नहीं होने बाबत कोई स्पीकिंग आदेश नहीं होने से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री रद्द योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या एक को जवाबदावा प्रस्तुत किए जाने हेतु दिनांक 7.12.11 से 8.4.15 तक कुल 32 अवसर प्रदान किए गए हैं अर्थात् कुल 2 वर्ष 4 माह तक प्रतिवादीगण ने जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया, जबकि सी.पी.सी. के आदेश 8 नियम 1 अनुसार तामील से एक माह में जवाबदावा पश किया जाना होता है। परन्तुक तीस दिन की अवधि के भीतर जवाबदावा फाईल करने में असफल रहता है, तो वहां पर उसे ऐसे किसी अन्य को जो न्यायालय द्वारा ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, विर्निदिष्ठ किया जाए, फाईल करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किनतु सम्मन की तारीख से नब्बे दिन के पश्चात् का नहीं होगा। उक्त बाद में दिनांक 7.12.11 को अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या एक की ओर से उपस्थित हो गए थे, उक्त दिनांक 7.12.11 के बाद कभी जवाबदावा पेश करने हेतु लिखित आवेदन पेश कर अवसर नहीं चाहा गया था, न ही जवाबदावा प्रस्तुत नहीं करने का कारण न्यायालय को अवगत करवाया गया था। दिनांक 7.12.11 से कभी भी पत्रावली में जवाबदावा किसी प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नहीं करने पर अवसर बंद किया जाना चाहिए, परन्तु ऐसा नहीं कर सी.पी.सी. के आदेश 8 नियम 1 की अवहेलना की गई है, जिससे वाद अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड किए जाने योग्य रहता है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय ने कैम्प न्याय आपके द्वार अभियान में नम्बर से कम की गई है। कैम्प में ऐसे निर्णय पारित कर डिक्री प्रदान नहीं की जा सकती थी। कैम्प में मात्र डिस्पोजल की संख्या बताने के लिए दूषित निर्णय एवं डिक्री पक्षकारान की अनुपस्थिति में जारी की है, जो निरस्त योग्य है। उक्त वाद मैरिट पर निर्णय किए जाने योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय ने कभी भी पक्षकारों की उपस्थिति का विचार ही नही किया था। वकुलाय की उपस्थिति को ही महत्वपूर्ण समझा, जबकि पक्षकारान को सहमति बाबत समझाना एवं बताया जाने के पश्चात् निर्णय पारित किया जाना होता था। अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान को उपस्थित रखना बिल्कुल ही नकार दिया एवं उचित नहीं समझा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना पक्षकारान के हस्ताक्षर आवेदन दिनांक 4.7.17 को निर्णय के 2 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत करना एवं बिना पक्षकारान को नॉलेज में दिए बिना उनकी उपस्थिति में संशोधन किया जाना भी न्याय सिद्धान्त के विपरित होने से भी वाद रिमाण्ड योग्य रहता है। अधीनस्थ न्यायालय की बड़ी ही विचित्र स्थिति रही है। तथाकथित दिनांक 15.7.15 को निर्णय पारित करने के पश्चात् दिनाक 26.7.22 को प्रतिवादी संख्या एक एवं उसकी पत्नी पूनी जो वाद में पक्षकार ही नहीं थी, द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर बख्शीशनामा दिनांक 26.6.18 के आधार पर दिनांक 5.7.17 की अंतिम डिक्री में संशोधन के आदेश चाहा था, जो धारा 152 सीपीसी के द्वारा चाहा गया

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

था। यहां यह स्पष्ट किया जाना समीचीन रहेगा कि धारा 152 सीपीसी ष्वाद की किसी कार्यवाही में की किसी त्रुटि या गलती को संशोधित कर सकेगा। जबकि उक्त कोई पूनी पूरे वाद के दौरान कभी पक्षकार ही नहीं रही थी, न ही कोई ऐसा कभी आवेदन ही प्रस्तुत किया गया था। तथाकथित बख्शीशनामा दिनांक 26.6.18 का था तो पूर्व में प्रस्तुत नहीं करने का क्या कारण था। अचानक दिनांक 25.7.22 को 4 वर्षों पश्चात् पेश करना सामान्य समझ से परे की बात है। उक्त आवेदन दिनांक 25.7.22 को वादी दरगाराम को दिनांक 27.9.22 को चस्पांगी की रिपोर्ट का हवाला दिया गया, परन्तु दरगाराम दिनरांक 27.9.22 को गांव में हाजिर ही नहीं था। वादी पिछी 25–30 वर्षों से मुम्बई में परिवार सहित रहता है, गांव तो साल में एकाध बार ही आना होता है। उक्त दिनांक 27.9.22 को वादी गांव में उपस्थित ही नहीं था। मिलावट कर चस्पांगी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जबकि वादी को ऐसे किसी नोटिस की कोई जानकारी कभी नही रही थी। अपीलार्थी वादी एवं रेस्पोडेण्ट प्रतिवादी संख्या एक के कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी की गांव डूंगली में खसरा संख्या 30, 36, 106, 119, 132 आई हुई है। उक्त कृषि भूमि को दिनांक 25.5.10 को पक्षकारान एवं समाज के मौजीज व्यक्तियों द्वारा आपसी समझाईश से राजीनामा करवाकर उक्त कृषि भूमि का सहमति से बंटवाड़ा किया जाकर स्टाम्प पर लिखापढ़ी की जाकर सभी मौजीज व्यक्तियों एवं पंचों एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक के हस्ताक्षर करवाए गए थे। उक्त बंटवाड़े से वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक सहमत हो गये थें एवं बंटवाड़ा मंजूर किया था। प्रतिवादी संख्या एक, वादी का सगा बड़ा भाई है। आये दिन झगड़ा करने से वादी ने पुलिस थाने में शिकायत करने पर प्रतिवादी संख्या एक को धारा 151 के तहत 6 माह के लिए पाबंद किया गया था, जिससे प्रतिवादी संख्या एक ओर झगड़े पर उतारू हो गया एवं बंटवाड़े में प्राप्त भूमि के अलावा वादी की प्राप्त भूमि में दखल करने लग जाने से वादी ने अधिवक्ता से संपर्क कर बंटवाड़े के अनुसार भूमि पर प्रतिवादी संख्या एक काबिज रहे। वादी को तंग परेशान नहीं कर एवं वादी के कब्जे की भूमि में दखलंदाजी नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा का दावा कर स्टे लेने हेतु निवेदन किया गया था। अधिवक्ता महोदय ने बंटवाड़े में प्राप्त भूमि के आधार पर दावा नहीं कर प्रत्येक खसरे के बंटवाड़े का वाद कर दिया। ऐसा अभी हाल में नकलें प्राप्त करने से जानकारी में आने पर अधिवक्ता को ओलम्बा दिया था। वादी पिछले 25–30 वर्षों से मुम्बई परिवार सहित निवास करता है, साल में एकाध बार ग्रीष्मकालीन समय में गांव आता है। अधिवक्ता द्वारा मात्र यही जानकारी अंतिम समय तक यही दी जाती रही कि वाद में कार्यवाही चल रही है। वादी अधिवक्ता के विश्वास में रहकर वाद पत्र पर मात्र हस्ताक्षर किए थे। मात्र वादी को प्रतिवादी संख्या एक तंग परेशान नहीं करें एवं बंटवाड़े के अनुसार काबिज रहें। वादी की भूमि में दखल नहीं करें इस हेतु वाद स्थायी निषेधाज्ञा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

का प्रस्तुत करने का बताया गया था। वादी कभी भी बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन का दावा नहीं करवाना चाहता है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक के बीच समाज के मौजीज व्यक्तियों एवं पंचों की उपस्थिति में हुए बंटवाडे पर कायम रहना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री, अंतिम डिक्री एवं आदेश दिनांक 30.11.22 की कोई जानकारी नहीं होने, न ही अधिवक्ता द्वारा जानकारी दिए जाने, वादी का ग्रीष्मकालीन अवकाश में गांव आने, पटवारी द्वारा बातों ही बातों में वादग्रस्त भूमि का निर्णय बंटवाड़ा द्वारा विभाजन किए जाने की जानकारी दिए जाने पर वादी अधिवक्ता से संपर्क कर दिनांक 14.5.24 को प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने एवं दिनांक 20.5.24 को प्रतिलिपि प्राप्त करने से उक्त निर्णय मय अंतिम डिक्री एवं आदेश दिनांक 30.11.22 की जानकारी होने से अविलम्ब यह अपील माननीय न्यायालय में एक माह के अंदर प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व प्राथमिक डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के विभाजन हेतु वादपत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध रेस्पोंडेंट प्रस्तुत किया। जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान की सहमति से दिनांक 15.07.2015 को प्राथमिक डिक्री किया गया तथा दिनांक 05.12.2017 को अंतिम डिक्री किया गया एवं दिनांक 30.11.2022 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 152 सीपीसी स्वीकार कर संशोधित आदेश पारित किया गया। अपीलांट द्वारा अंतिम डिक्री व निर्णय दिनांक 05.12.2017 संशोधित निर्णरू दिनांक 30.11.2022 के विरूद्ध हस्तगत अपील दिनांक 28.06.2024 को प्रस्तुत की। जो अपीलाधीन अंतिम डिक्री के विरूद्ध लगभग 6.5 वर्ष अर्थात 2370 दिवस के दीर्घ विलंब के साथ तथा संशोधित निर्णय के विरूद्ध लगभग 19 माह अर्थात लगभग 570 दिवस के दीर्घ विलंब के साथ प्रस्तुत की गई हैं। अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की कोई जानकारी नहीं थीं तथा न ही अधिवक्ता द्वारा इस बाबत कोई जानकारी दी गई। अपीलांट पिछले 25–30 वर्षों से मुम्बई में परिवार सहित निवास करता है, साल में एकाध बार ग्रीष्मकालीन समय में गांव आता

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

है। अधिवक्ता द्वारा मात्र यही जानकारी अंतिम समय तक यही दी जाती रही कि वाद में कार्यवाही चल रही है। अपीलांट अधिवक्ता के विश्वास में रहकर वाद पत्र पर मात्र हस्ताक्षर किए थें। मात्र अपीलांट को प्रतिवादी संख्या एक तंग परेशान नहीं करें एवं बंटवाड़े के अनुसार काबिज रहें, अपीलांट की भूमि में दखल नहीं करें, इस हेतु वाद स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करने का बताया गया था। अपीलांट कभी भी बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन का दावा नहीं करवाना चाहता है। अपीलांट एवं प्रतिवादी संख्या एक के बीच समाज के मौजीज व्यक्तियों एवं पंचों की उपस्थिति में हुए बंटवाड़े पर कायम रहना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री की कोई जानकारी नहीं होने, न ही अधिवक्ता द्वारा जानकारी दिए जाने, अपीलांट का ग्रीष्मकालीन अवकाश में गांव आने, पटवारी द्वारा बातों ही बातों में वादग्रस्त भूमि का निर्णय बंटवाड़ा द्वारा विभाजन किए जाने की जानकारी दिए जाने पर अपीलांट अधिवक्ता से संपर्क कर दिनांक 14.5.24 को प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने एवं दिनांक 20.5.24 को प्रतिलिपि प्राप्त करने के उपरांत निर्णय मय अंतिम डिक्री एवं आदेश दिनांक 30.11.2022 की जानकारी होने से उक्त अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

2. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की सहमति के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जिसकी अपीलांट को आरंभ से ही भलीभांति जानकारी है। अपीलांट द्वारा जानबूझकर विलंब किया गया है। जो माफी योग्य नहीं हैं। अपील म्याद बाहर होने से खारिज फरमावें।

3. पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका, वादपत्र एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा ही विभाजन बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया गया था, तथा अपीलांट व रेस्पोंडेंट के अधिवक्ता की सहमति के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गई। तत्पश्चात दिनांक 04.07.2017 को उभयपक्ष अधिवक्ता के आवेदन पर पत्रावली पुनः तलब की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में लिपिकीय त्रुटिवश गलत अंकित कुल रकबा को सही किया गया एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की सहमति व हस्ताक्षर उपरांत अंतिम डिक्री दिनांक 05.12.2017 पारित की गई। इस प्रकार यह सुस्पष्ट है कि वादी अधिवक्ता की सहमति के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। किसी भी दृष्टि से पक्षकार व उसके अधिवक्ता को पृथक–पृथक नहीं माना जा सकता तथा वादी अपनी गलतियों व लापरवाही के लिए अपने अधिवक्ता को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। अपीलांट द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

यह कथन करना कि वह परिवार सहित पिछले 25–30 वर्षों से मुम्बई रहता है, इसलिए उसे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं रही, हमारे विनम्र मत में एक सुसंगत व युक्तियुक्त कारण नहीं हैं। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा ही वादपत्र प्रस्तुत किया गया था एवं अपीलांट द्वारा ही पैरवी हेतु अपना अधिवक्ता नियुक्त किया गया था। अतः यह कारण स्वीकार योग्य नहीं हैं। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में लगभग 6.5 वर्ष अर्थात 2370 दिवस का दीर्घ विलंब कारित किया है। जो वादी की घोर उदासीनता, निष्क्रियता व लापरवाही का द्योतक

4. यहां हम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 2016(4) डी.एन.जे. (राज) 1729 जितेन्द्रसिंह बनाम निर्वाण चेरिटेबल ट्रस्ट में प्रदत्त अभिमत का उल्लेख करना उचित समझते हैं जिसके अनुसार– ***"निगरानी पेश करने में 234 दिनों का विलंब– याची ने अभिवचन किया कि वकील ने आदेश के बारे में सूचना नहीं दी– याची संख्या 1 ने उसका वकील नहीं बदला– मुव्वकिल को पर्याप्त जागरूक होना चाहिए एवं लंबित कार्यवाहियों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, आधारहीन कथन किया, विलंब शमन हेतु सत्याभाषी स्पष्टीकरण में ही, याचीगण स्थापित करने में असफल रहें कि वे मियाद में निगरानी पेश करने से रोके गये, निर्णीत, धारा 5 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र व निगरानी याचिका खारिज किये।"***

5. हमारे विनम्र अभिमत में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में प्रकट अभिमत हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होता है। अतः अपीलांट द्वारा लगभग 6.5 वर्ष अर्थात 2370 दिवस से अधिक के दीर्घ विलंबकाल अंतिम डिक्री के विरूद्ध एवं लगभग 570 दिवस के दीर्घ विलंब से संशोधित निर्णय के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत करने, विलंब का कोई संतोषजनक, विश्वसनीय एवं युक्तियुक्त कारण साबित नहीं करने एवं न ही ऐसी परिस्थितियां जो अपीलांट के नियंत्रण से परे हों तथा जिसके फलस्वरूप अपीलांट अंदर म्याद अपील प्रस्तुत नहीं करने के लिए बाध्य रहा हों, साबित कर पाने में पूर्णतया असफल रहने के कारण विलंबकाल किसी भी दृष्टि से शमन योग्य नहीं हैं। लिहाजा अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 भली–भांति साबित नहीं होता है तथा स्वीकार योग्य नहीं हैं, फलस्वरूप अपील अपीलांट अपील के लिए विहित अवधि से परे एवं विहित अवधि से बाधित होने के कारण अपील अपीलांट खारिज/अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधिसंगत एवं उचित होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपीलांट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट परिसीमा अवधि से बाधित होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **27.03.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner